

a, the  
of the  
general

स०

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग

/XXVII(8) / वाणिज्यकर (वैट) / 2007  
देहरादून: दिनांक मई 2007  
०१, जून

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (अब उत्तराखण्ड) (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहर्ष निर्देश देते हैं कि समय—समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या—क०मि०—२—२२८३ / ग्यारह—९—(८१) / ९१—उ०प्र०अध्या०—२१—९९—आदेश—९९ दिनांक ३१—१०—१९९९ की अनुसूची के क्रमांक १३ की प्रविष्टि को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनुसूची से निकाला जाता है।

आज्ञा से,

*Abhijit Jain*

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या २९७ / XXVII(8) / वाणिज्यकर (वैट) / 2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१—कमिशनर वाणिज्यकर, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समर्त अधिकारियों को तुरन्त इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

२—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित करके इसकी २५०—२०५ प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

*Abhijit Jain*

अपर सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

१२०७  
२६-०७

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 297 Dated 01, JUNE for G information.

UTTARAKHAND SHASAN  
VITTA VIBHAG  
NO. 297 XXVII(8)/Vanijya kar (VAT)/2007  
Dated: Dheradun: 01, JUNE, 2007  
Notification 01, JUNE

In exercise of the power conferred under sub-section (1) of section 4 of Uttaranchal (now Uttarakhand) (the Uttar Pradesh Tax on Goods Act, 2000) Adaptation and Modification Order 2001, the Government of Uttarakhand is pleased to direct that with the effect from the publication of this Notification in the official Gazette, the entry 13 in Schedule to the notification No. K.A. NI.-2-2283/XI-98 Ord.-21-99/Order-99 dated 31<sup>st</sup> October 1999 as amended time deleted in the context of Uttarakhand State.

By Order,



(Alok Kumar Jair  
Principal Secretary  
Uttarakhand Sha